

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
28 <sup>06</sup> / <sub>19</sub>	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक धनश्याम बानरा, पिता- स्व0 नानु बानरा, ग्राम- बाई तुईबीर, थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- बाई तुईबीर, थाना- 127, खाता नं0- 33, प्लॉट नं0- 26, रकवा - 0.10 एकड़ भूमि क्रेता सुरेश कुदादा, पिता- स्व0 लान्डु कुदादा, ग्राम-बादुडी, थाना- मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम पर ना0 मु0 सं0- 172(III)/13-14 द्वारा नामांतरित होकर पंजी 11 में दर्ज हैं। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 427, दिनांक- 18.06.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता सुरेश कुदादा, पिता- स्व0 लान्डु कुदादा, ग्राम-बादुडी, थाना- मुफसिल, चाईबासा के पास 5,00,000.00/- (पांच लाख) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता धनश्याम बानरा, पिता- स्व0 नानु बानरा, ग्राम- बाई तुईबीर, थाना- मुफसिल क्रेता सुरेश कुदादा, पिता- स्व0 लान्डु कुदादा, ग्राम-बादुडी, थाना- मुफसिल के पास जमीन का 5,00,000.00/- (पांच लाख) रुपये में मौजा- बाई तुईबीर, थाना- 127, खाता नं0- 33, प्लॉट नं0- 26, रकवा- 0.10 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ..... स्वीकृति ..... दी जाती है।</p>	

लेखापित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।